मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक 3222 / एनआर–3 / आई.एम.पी.सेल / मनरेगा / 2012 भोपाल, दि. 26/03/2012

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः– **समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट अंतर्गत चयनित क्लस्टर में जलग्रहण अवधारणा पर पूर्व उपचारित क्षेत्र की स्थिति को कार्ययोजना में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किये जाने बावत्।**

संदर्भ:– **परिषद कार्यालय का पत्र क्र. 6429 दि. 17/06/2011 एवं पत्र क्र. 9207 दि.19.09.2011**

––0––

विषयांतर्गत समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट अंतर्गत चयनित क्लस्टर में सम्मिलित ग्रामों में जलग्रहण अवधारणा पर पूर्व उपचारित क्षेत्र की स्थिति ज्ञात किया जाकर कार्ययोजना में भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किये जाने के निर्देश संदर्भित पत्रों द्वारा दिये गये है। अतः ऐसे पूर्व उपचारित ग्रामों में संबंधित जलग्रहण परियोजना से निजी, वन एवं सामुदायिक भूमि पर लिये गये उपचार कार्यो/निर्मित संरचनाओं को नेटप्लानिंग के दौरान चिन्हित किया जाकर डी.पी.आर. में उल्लेखित किया जावे। यदि पूर्व निर्मित संरचना के क्षतिग्रस्त होने से सुधार किया जाना है तो पूर्व स्थिति के फोटोग्राफ्स, ग्राम स्तरीय सतर्कता मूल्यांकन समिति के साथ स्थल निरीक्षण उपरांत औचित्य सहित पूर्ण उल्लेख करते हुए डी.पी.आर. में सम्मिलित किया जावे। किसी भी परिस्थिति में राशि व्यय की दोहरीकरण की स्थिति निर्मित न हो, यह पी.आई.ए. द्वारा सुनिश्चित कराया जावे।

उपरोक्तानुसार डी.पी.आर. के परीक्षण हेतु जारी चेकलिस्ट में भी इसका उल्लेख किया जावे। परिषद स्तर पर प्रतिपरीक्षण हेतु भेजे जाने वाली क्लस्टर के एक ग्राम की कार्ययोजना के संलग्न चेकलिस्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के हस्ताक्षर युक्त भेजी जावें।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

पृ.क्रमांक 3223 / एनआर–3 / आई.एम.पी.सेल / मनरेगा / 2012 भोपाल, दि. 26/03/2012

प्रतिलिपि,

संभागायुक्त, संभाग–समस्त

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,